

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
पीठासीन अधिकारी- डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या-50/2021
जीसीएमएस पोर्टल संख्या - 2021/68

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा:- पी.आर. मार्ग, अजमेर (राज.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी		मैसर्स स्वीफ्ट मोटर्स, खसरा नं. 610/5, मंगलाना रोड़, मकराना, जिला-नागौर (राज.) श्री दीपक कुमार बंसल पुत्र श्री रघुनन्दन प्रसाद बंसल (पार्टनर) 60, बालाजी कॉलोनी, बोरावर रोड़, मकराना, जिला नागौर (राज.) श्री पराग कुमार गर्ग पुत्र श्री प्रेम नारायण गर्ग (पार्टनर), 10/57, सिविल लाईन, अजमेर (राज.) स्व. श्री प्रेमनारायण गर्ग पुत्र शंकर लाल गर्ग के समस्त विधिक उत्तराधिकारीगण- (अ) श्री पराग कुमार गर्ग पुत्र स्व. श्री प्रेम नारायण गर्ग (ब) श्रीमति बीना गर्ग पत्नी स्व. श्री प्रेम नारायण गर्ग (स) पूजा गर्ग पुत्री स्व. श्री प्रेम नारायण गर्ग 10/57, सिविल लाईन, अजमेर (राज.) श्री उत्कर्ष बंसल पुत्र श्री दीपक कुमार बंसल (अ) खसरा नं. 610/5, मंगलाना रोड़, मकराना, जिला- नागौर (राज.) (ब) 60, बालाजी कॉलोनी, बोरावर रोड़, मकराना, जिला- नागौर (राज.)

आदेश

दिनांक:-24-06-21

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को 2,50,00,000/- (अक्षरे दो करोड़ पचास लाख रुपये मात्र) रुपये ऋण सुविधा दिनांक 23.12.2006 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पत्ति- श्री उत्कर्ष बंसल पुत्र श्री दीपक कुमार बंसल एवं श्री पराग कुमार गर्ग पुत्र स्व. श्री प्रेम नारायण गर्ग, की खसरा नं. 610/5, मंगलाना रोड़, मकराना, जिला- नागौर (राज.) स्थित व्यावसायिक सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1441 वर्ग गज) तथा हाईपोथिकेशन ऑफ मोटर साईकल्स वाहन मशीनरी टूल्स, पादर्स बुक डेब्ट्स, स्टॉक व मुवेबल एसेसस इत्यादि है। जिसके पूर्व में श्री रामकुमार की संपत्ति एवं पैसेज, पश्चिम में श्री महावीर बिदादा की भूमि, उत्तर में मंगलाना-मकराना रोड़ एवं दक्षिण में अन्य संपत्ति स्थित है, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नही किया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 31.03.2021 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रुपये 2,84,29,944.30/- (अक्षरे दो करोड़ चौरयासी लाख उन्नतीस हजार नौ चवालीस



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

रुपये तीस पैसे मात्र) दिनांक 31.03.2021 तक शेष देय है तथा इसके आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि का भुगतान बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 06.04.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये, परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि 2,84,29,944.30/- (अक्षरे दो करोड़ चौरयासी लाख उन्नतीस हजार नौ चवालीस रुपये तीस पैसे मात्र) दिनांक 31.03.2021 तक शेष देय है तथा इसके आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्वोरिटीज एवं सिक्वोरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्वोरिटीज सम्पत्ति का विवरण :- श्री उत्कर्ष बंसल पुत्र श्री दीपक कुमार बंसल एवं श्री पराग कुमार गर्ग पुत्र स्व. श्री प्रेम नारायण गर्ग, की खसरा नं. 610/5, मंगलाना रोड, मकराना, जिला-नागौर (राज.) स्थित व्यावसायिक सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1441 वर्ग गज) तथा हाईपोथिकेशन ऑफ मोटर साईकल्स वाहन मशीनरी टूल्स, पाटर्स बुक डेब्ट्स, स्टॉक व मुवेबल एसेसस इत्यादि है। जिसके पूर्व में श्री रामकुमार की संपत्ति एवं पैसेज, पश्चिम में श्री महावीर बिदादा की भूमि, उत्तर में मंगलाना-मकराना रोड एवं दक्षिण में अन्य संपत्ति स्थित है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथिकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्ट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से 2,50,00,000/- (अक्षरे दो करोड़ पचास लाख रुपये मात्र) रुपये ऋण सुविधा दिनांक 23.12.2006 को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर (क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति- श्री उत्कर्ष बंसल पुत्र श्री दीपक कुमार बंसल एवं श्री पराग कुमार गर्ग पुत्र स्व. श्री प्रेम नारायण गर्ग, की खसरा नं. 610/5, मंगलाना रोड, मकराना, जिला- नागौर (राज.) स्थित व्यावसायिक सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1441 वर्ग गज) तथा हाईपोथिकेशन ऑफ मोटर साईकल्स वाहन मशीनरी टूल्स, पाटर्स बुक डेब्ट्स, स्टॉक व मुवेबल एसेसस इत्यादि है। जिसके पूर्व में श्री रामकुमार की संपत्ति एवं पैसेज, पश्चिम में श्री महावीर बिदादा की भूमि, उत्तर में मंगलाना-मकराना रोड एवं दक्षिण में अन्य संपत्ति स्थित है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने के संबंध में विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

आदेश सुनाया गया।



(डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

